प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

05-अगस्त -2016 18:26 IST

प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना का क्रियान्वयन

अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली फसल हानि / क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय कृषि के स्थान पर खरीफ 2016 के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के लिए एक नई योजना, अर्थात् प्रधान मंत्री बीमा योजना (PMFBY) को मंजूरी दी गई है। बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS)। पीएमएफबीवाई कई गणनाओं पर पहले की योजनाओं में एक उल्लेखनीय सुधार है और इसके तहत पूर्व-बुवाई से लेकर कटाई के बाद के नुकसान तक व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया गया है। योजना के लिए 2016-17 के दौरान रु। 501.15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

पीएमएफबीवाई ऋणदाता किसानों के लिए अनिवार्य है, जो अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण लेते हैं और गैर-कर्जदार किसानों के लिए स्वैच्छिक होते हैं।

जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा घोषित वित्त के पैमाने को योजना के तहत फसलों के बीमित राशि के रूप में लिया गया है। प्रीमियम में कोई कैपिंग नहीं है, हालांकि, किसानों द्वारा देय प्रीमियम में काफी कमी और सरलीकरण किया गया है और किसानों के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक प्रीमियम दर है जो सभी रबी, खरीफ और के लिए अधिकतम 1.5%, 2% और 5% होगी। वार्षिक बागवानी / वाणिज्यिक फसलें, क्रमशः।

-

PMFBY की मुख्य विशेषताएं

i) गैर-रोके जाने वाले प्राकृतिक जोखिमों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना, इस प्रकार किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करना और उन्हें नवीन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

ii) फसल चक्र के जोखिम कवरेज को बढ़ाएं - फसल की कटाई के बाद की बुवाई से पूर्व।

iii) व्यापक क्षति के लिए दावों के निपटान के लिए क्षेत्र दृष्टिकोण। प्रमुख फसलों के लिए अधिसूचित बीमा इकाई को ग्राम / ग्राम पंचायत में घटा दिया गया है

iv) सभी खरीफ फसलों, रबी फसलों और वाणिज्यिक / बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा केवल 2%, 1.5% और 5% की अधिकतम प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।

v) किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमा शुल्कों की दर के बीच अंतर को सब्सिडी और केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से प्रदान किया जाएगा।

vi) ऋणदाता और गैर-कर्जदार किसानों दोनों के लिए एक समान मौसमी अनुशासन और बीमा राशि

vii) प्रीमियम पर कैपिंग के प्रावधान को हटाना और बीमा राशि में कटौती करके किसानों को बिना किसी कटौती के पूर्ण बीमा राशि के खिलाफ दावा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।

viii) व्यक्तिगत खेत स्तर के आकलन के लिए ओलावृष्टि और भूस्खलन के अलावा स्थानीयकरण आपदा के रूप में शामिल किया गया है।

ix) देश भर में १४ दिनों तक सूखने के लिए खेत में रखी फसलों के लिए चक्रवाती और बेमौसम बारिश के बाद फसल के नुकसान के लिए व्यक्तिगत खेत के स्तर का आकलन।

x) बुवाई से बचाव के लिए बीमा राशि के 25% तक के दावों का प्रावधान।

xi) यदि बीमा इकाई में फसल क्षति 50% से अधिक होने की सूचना दी जाती है, तो मिड सीज़न की प्रतिकूलता के लिए बीमा राशि का 25% तक "ऑन-अकाउंट भुगतान"। फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा के आधार पर शेष दावे।

xii) अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एक क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जिसके तहत परिवर्तनीय जोखिम प्रोफ़ाइल वाले जिलों के एक समूह को 3 साल तक की लंबी अवधि के लिए बोली लगाने के माध्यम से एक बीमा कंपनी को आवंटित किया जाएगा।

xiii) दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए फसल के नुकसान के त्वरित आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और ड्रोन का उपयोग।

xiv) फसल बीमा पोर्टल शुरू किया गया है। बेहतर प्रशासन, समन्वय, पारदर्शिता और सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाएगा।

xv) सभी हितधारकों के बीच योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उसी के लिए संसाधनों के उचित प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया।

xvi) The claim amount will be credited electronically to the individual farmer's Bank Account.

xvii) Adequate publicity in all the villages of the notified districts/ areas

xviii) Premium rates under Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) have also been reduced and brought at par with new scheme. Further, capping on Actuarial premium and reduction in sum insured has been removed in this scheme also.

xix) In addition, a Unified Package Insurance Scheme (UPIS) has also been approved for implementation on pilot basis in 45 districts of the country from Kharif 2016 season to cover the other assets/activities like machinery, life, accident, house and student-safety for farmers along- with their notified crops (under PMFBY/ Weather Based Crop Insurance Scheme - WBCIS).

This information was given by the Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare Shri Parshottam Rupala in Rajya Sabha today.

SS/AK